

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 54]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 10 फरवरी 2011—माघ 21, शक 1932

चिकित्सा-शिक्षा विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 10 फरवरी 2011

क्र. एफ. 4-8-10-1-पचपन.—मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा संस्था नियंत्रण अधिनियम, 1973 (क्रमांक 19 सन् 1973) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, “मध्यप्रदेश चिकित्सा एवं दंत चिकित्सा महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा नियम, 2011” जो मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 4 जनवरी, 2011 में प्रकाशित हुए हैं, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

इन नियमों में :—

1. नियम 2 के सिवाय अन्यत्र जहां-जहां शब्द “मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल” अथवा “व्यावसायिक परीक्षा मण्डल (व्यापम)” अथवा “व्यापम” अंकित हैं, उसे शब्द “मण्डल” से प्रतिस्थापित किया जाए.
2. राजपत्र का पृष्ठ क्रमांक 6(2)
नियम 9.1 (ख) में शब्द “अन्य सेवारत चिकित्सा अधिकारियों को पांच वर्ष की सेवा होने पर चयन की पात्रता होगी”, के स्थान पर
शब्द “अन्य सेवारत चिकित्सा अधिकारियों को परीक्षा वर्ष की 30 अप्रैल 2011 को पांच वर्ष की सेवा होने पर चयन की पात्रता होगी” प्रतिस्थापित किए जाए.
3. राजपत्र का पृष्ठ क्रमांक 6(2)
नियम 9.2 में शब्द “विहित प्रारूप में” विलोपित किया जाए.

4. राजपत्र का पृष्ठ क्रमांक 6(4)
नियम 15 के उपनियम (2) के मद 2.1 के बाद मद 2.2 निम्नानुसार जोड़ा जाए—
“2.2 पात्र अभ्यर्थी ने एम.सी.आई./डी.सी.आई. द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं में दिनांक 31 मार्च 2011 को या उसके पूर्व अनिवार्य इन्टर्नशिप पूर्ण कर ली हो.”
5. राजपत्र का पृष्ठ क्रमांक 6(11)
प्रोफार्मा-1 में
(1) शब्द “प्रायोजित” के स्थान पर
शब्द “सेवारत” प्रतिस्थापित किया जाए,
(2) शब्द “संगठन” के स्थान पर
शब्द “संगठन/विभाग” प्रतिस्थापित किया जाए.
6. राजपत्र का पृष्ठ क्रमांक 6(13)
प्रोफार्मा-3 में
बिन्दु-6 के मद अ में शब्द “संबद्धता” के स्थान पर
शब्द “अनापत्ति” प्रतिस्थापित किया जाए.
7. राजपत्र का पृष्ठ क्रमांक 6(18)
FORM FOR PRE-PG EXAMINATION FOR IN-SERVICE CANDIDATE, में शब्द “General” के स्थान पर
शब्द “Unreserved (UR)” प्रतिस्थापित किया जाए.
8. राजपत्र का पृष्ठ क्रमांक 6(23)
ANNEXURE-I में
शब्द “Autonomous Dental College” के पश्चात्
शब्द “Indore” जोड़ा जाए.

No. F. 4-8-10-1-LV.—In exercise of the powers conferred by Section 10 of the Madhya Pradesh Chikitsa Shiksha Sanstha Niyantayan Adhiniyam, 1973 (No. 19 of 1973) the State Government hereby makes following amendments in “Madhya Pradesh Medical and Dental Post Graduate Course Entrance Examination Rules, 2011” published in Madhya Pradesh Gazette (Extraordinary) dated 4th January, 2011 namely :—

AMENDMENT

In these Rules :—

1. For the words “Professional Examination Board” or “VYAPAM” or “Vyapam” wherever they appear, except in Rule-2, the word “Board” shall be substituted.
2. Page No. 6(29) of the Gazette
In the Rule 9.1(b)
for the words “If a candidate who is working consecutively on contractual basis in any Department of the State Government on the post mentioned above for more then 5 years has to”
the words “Other in-service candidates who have completed 5 years of service by 30 April, 2011 will be eligible. Such candidates will have to” shall be substituted.

3. Page No. 6(30) of the Gazette
In Rule 9.2 the words “in the prescribed form” shall be omitted.
4. Page No. 6(31) of the Gazette
 - i. Item (i) of sub-Rule (2) of Rule 15 shall be renumbered without item number,
 - ii. Item (ii) of sub-Rule (2) of Rule 15 shall be renumbered as item (i)
 - iii. After item (i) of sub-Rule (2) of Rule 15 new item (ii) shall be inserted as follows :—
“(ii) Candidate should have completed compulsory intership from MCI / DCI recognised institution on or before 31st March, 2011”
5. Page No. 6(38) of the Gazette
In Proforma-1,
 - i. for the Word “Sponsored” the word “in-service” shall be substituted,
 - ii. for the word “Organization” the words “Organization/Department” be substituted.
6. Page No. 6(40) of the Gazette
In Proforma-3, Point 6(j) for the words “Sponsorship”
the words “No Objection” shall be substituted.
7. Page No. 6(42) of the Gazette
In the FORM FOR PRE PG EXAMINATION FOR IN-SERVICE CANDIDATE, for the word “General”
the word “Unreserved (UR)” shall be substituted.
8. Page No. 6(44) of the Gazette
In ANNEXURE-I After the word “Autonomous Dental College”
the word “Indore” shall be inserted.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एस. कुमारे, उपसचिव.